न्यायालय जिला कलक्टर (रसद) अजमेर जिला अजमेर

खाद्य सुरक्षा अधि0 अपील सं. 05/2017

मिल्टन हेरिन्टन पुत्र स्व0 श्री एस.एल.हेरिन्टन निवासी 1305/37, अशोक नगर भट्टा नगरा, अजमेर। ....अपीलार्थी

बनाम

उप खण्ड अधिकारी, अजमेर, जिला–अजमेर (राज0) ....प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013

आदेश दिनांक – 05.07.2017

अपीलान्ट द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की सूची में नाम जुडवाने हेतु प्रथम अपील उपखण्ड अधिकारी अजमेर के यहॉ प्रस्तुत की गई। उपखण्ड अधिकारी अजमेर द्वारा नगर निगम अजमेर की जांच एवं आयुक्त नगर निगम, अजमेर की अनुशंषा के आधार पर आदेश दिनांक 06.10.2016 के द्वारा अपील खारिज की गई। जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर उप खण्ड अधिकारी, अजमेर से टिप्पणी मय रेकार्ड प्राप्त की गई। प्रार्थना पत्र/अपील एवं उप खण्ड अधिकारी, अजमेर से प्राप्त टिप्पणी का मय रेकार्ड अवलोकन किया गया। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र/द्वितीय अपील के साथ BOCW welfare Board, Rajasthan Beneficiary Registration की अप्रमाणित छाया प्रति पेश की है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर प्रकरण BOCW welfare Board, Rajasthan Beneficiary Registration की अप्रमाणित छाया प्रति के उपखण्ड अधिकारी, अजमेर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पुनः जॉच कर 15 दिवस में गुणावगुण पर निर्णय पारित करे।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 05.07.2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

(गौरव गोयल)
जिला कलक्टर(रसद)
अजमेर

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

Scanned by CamScanner